प्रेषक,

शशि भूषण पाण्डेय,
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक :–144 / 2022 दिनांक :– 28.01.2022

विषय :–भविष्य निधि खाता सं0 एल0जे0यू0 21085 से भवन निर्माण हेतु 31,00,000/– (इकतीस लाख) रूपये अन्तिम निष्कासन के सम्बन्ध में :–

महोदय,

अति विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने सर्वप्रथम दिनांक 01.10.20 को एक प्रार्थनापत्र माननीय महोदय को सम्बोधित करते हुए इस आशय का प्रेषित किया था कि, प्रार्थी ने दिनांक 18.03.96 को न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा प्रार्थी को अक्टूबर 2022 में अवकाश ग्रहण करना है एवं प्रार्थी ने अपनी पूरी सेवाकाल में जो भी बचत की है, वह सब प्रार्थी के भविष्य निधि खाता में जमा है एवं प्रार्थी को अपनी सेवा के अन्तिम वर्षों में अपने परिवार के तथा स्वयं के रहने की व्यवस्था के लिए आवास की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने फ्लैट/आवास क्रय किये जाने हेतु अपने भविष्य निधि खाता में जमा धनराशि का दो–तिहाई हिस्सा ऋण दिये जाने के लिए एक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था तथा चूंकि प्रार्थी के भविष्य निधि खाता में 2019–20 के अन्त में 46,30,313/(छियालिस लाख तीस हजार तीन सौ तेरह) रूपये की धनराशि जमा थी तथा माननीय महोदय की कृपा प्राप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में प्रार्थी को माननीय महोदय द्वारा, जमा धनराशि का दो–तिहाई हिस्से की धनराशि प्रदान की जा सकती है, इस आधार पर प्रार्थी ने उस समय तक जमा धनराशि 46,30,313/(छियालिस लाख तीस हजार तीन सौ तेरह) रूपये के दो–तिहाई हिस्से की धनराशि 30,00,000/(तीस लाख) रूपये की धनराशि के स्थायी निष्कासन हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के e-Services Portal of Judicial Officers के माध्यम से 22 जनवरी, 2021 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि, प्रार्थी द्वारा भेजे गये प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में यह आदेशित किया गया है कि, "प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.10.20 में उस सम्पत्ति का विवरण नहीं लिखा था, जो सम्पत्ति प्रार्थी क्रय करना चाहता है तथा भविष्य निधि खाता से स्थायी निष्कासन के लिए उस आवास/फ्लैट/प्लाट की पहचान तथा उसकी विक्रय धनराशि का विवरण आदि भी लिखना आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थी के लिए यह आदेश किया गया है कि, प्रार्थी पहले वह प्रापर्टी तय करे, जो उसे खरीदनी है, तथा उसके बाद पुनः सम्बन्धित प्रापर्टी के सम्पूर्ण विवरण के साथ पुनः प्रार्थनापत्र प्रेषित करे, तभी प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर भविष्य निधि खाता से स्थायी निष्कासन की कार्यवाही की जा सकेगी।"

(2)

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी ने काफी प्रयास करके तथा कई स्थानों पर जाकर प्लाट/फ्लैट/विला के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किया तथा कई स्थानों पर प्लाट/फ्लैट/विला देखने के बाद प्रार्थी ने लखनऊ में एल्डिको सिटी, ग्राम मुबारकपुर, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ में प्लाट सं0–1106 एरिया 167.445 वर्ग मीटर को क्रय करने के लिए एक Agreement to Sale दिनांक 03.04.21 को कर लिया, जिसकी शर्तों के अनुसार 60 दिन के अन्दर Agreement to Sale से सम्बन्धित धनराशि न दिये जाने पर Agreement to Sale निष्प्रभावी हो जाना था। इसके बाद दुर्भाग्य से प्रार्थी तथा प्रार्थी की पत्नी एवं प्रार्थी के दोनों बेटे Covid-19 के संक्रमण से ग्रसित हो गये एवं पूरा अप्रैल एवं मई माह प्रार्थी इसी समस्या से जूझता रहा तथा Covid-19 के संक्रमण से ठीक होने के बाद जब प्रार्थी ने पुनः कार्यभार ग्रहण किया, तो कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद दिनांक 02.06.21 को पुनः एक प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया, जिसमें प्रार्थी ने e-Services Portal of Judicial Officers पर प्रार्थी ने प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकित 01.10.20 के सम्बन्ध में दर्ज की गयी आपत्ति को दूर करते हुए Agreement to Sale से सम्बन्धित एल्डिको सिटी के प्लाट को चिन्हित करते हुए तथा Agreement to Sale की फोटोस्टेट प्रतिलिपि संलग्न करते हुए प्रेषित किया, जिसके साथ संलग्नक के रूप में प्रार्थी ने दिनांक 03.04.20 को हुए Agreement to Sale की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, दिनांक 01.10.20 को फ्लैट/आवास क्रय किये जाने हेतु 30,00,000/(तीस लाख) रूपये के स्थायी निष्कासन हेतु प्रेषित प्रार्थनापत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ भविष्य निधि खाता से स्थायी निष्कासन से सम्बन्धित आवेदनपत्र के प्रारूप (प्रोफार्मा) पर प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.10.21 की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सक्षम अधिकारीगण द्वारा सत्यापित प्रार्थी के भविष्य निधि पासबुक की 2016–17 से 2019–20 के विवरण की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न, पूर्व में कोई भी स्थायी धनराशि भविष्य निधि खाता से आहरण न करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, आहरण एवं वितरण अधिकारी, दीवानी न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा जारी प्रमाणपत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी के स्वयं के प्रमाणपत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि, तथा पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी के वचनपत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि भी प्रेषित किया था। इसी बीच Agreement to Sale से सम्बन्धित 60 दिन की अवधि भी बीतने लगी तथा भूस्वामी द्वारा दिनांक 15.06.21 तक Agreement to Sale से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थी द्वारा क्रय न किये जाने पर, उसे किसी अन्य को विक्रय कर दिये जाने के बारे में दबाव बनाया जाने लगा, तब मजबूर होकर प्रार्थी ने जल्दी–जल्दी, यूनियन बैंक आफ इण्डिया से भूखण्ड के लिए ऋण प्राप्त किया तथा प्रार्थी की शेष सेवा अवधि एवं वेतन को देखते हुए बैंक से प्रार्थी को कुल 45,00,000/(पैंतालिस लाख) रूपये यूनियन बैंक आफ इण्डिया से भूखण्ड के नाम पर ऋण प्राप्त हुआ, जो भूखण्ड की धनराशि 60,00,000/(साठ लाख) रूपये से कम होने के कारण तथा प्रार्थी के पास

(3)

सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त अन्य कहीं कोई धनराशि जमा न होने के कारण प्रार्थी को 15,00,000/(पन्द्रह लाख) रूपये का Personal Loan भी लेना पड़ा तथा Agreement to Sale निरस्त न हो जाये एवं प्रार्थी द्वारा 2–3 महीनों में घूम–घूमकर कई स्थानों पर जाकर काफी प्रयास के बाद पसन्द किये गये भूखण्ड खरीदने से प्रार्थी वंचित न हो जाये, इसलिए बैंक से Loan प्राप्त करके प्रार्थी ने भूस्वामी द्वारा दी गयी समय–सीमा 15 जून 2021 के अन्दर दिनांक 11.06.21 को Agreement to Sale से सम्बन्धित उपरोक्त प्लाट की रजिस्ट्री करा लिया, जो प्रार्थी तथा प्रार्थी की पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से है। अब प्रार्थी को भवन निर्माण हेतु भी रूपयों की आवश्यकता है तथा इसी वर्ष अक्टूबर माह में प्रार्थी को सेवा से अवकाश ग्रहण करना है एवं इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भवन निर्माण में कम से कम 7–8 महीनों का समय लगेगा। निश्चित रूप से प्रार्थी के सेवा से अवकाश ग्रहण से पूर्व प्रार्थी के पास अपना एक आवास होना आवश्यक है, जिसके निर्माण के लिए प्रार्थी के पास भविष्य निधि खाता से धनराशि प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 02.06.21 के सम्बन्ध में प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के e-Services Portal of Judicial Officers के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रार्थी ने दिनांक 02.06.21 को जो प्रार्थनापत्र दिया था, उसके सम्बन्ध में अब यह आदेशित किया गया है कि, चूंकि प्रथम आवेदनपत्र दिनांकित 01.10.20 एवं द्वितीय आवेदनपत्र दिनांकित 02.06.21 के मध्य काफी समय बीत गया था तथा इस बीच वित्तीय वर्ष भी बदल गया था, अतः सभी आवश्यक प्रमाणपत्र एवं भविष्य निधि खाता का स्टेटमेन्ट 2020–21 का तथा प्रोफार्मा पर प्रार्थनापत्र पुनः प्रेषित करना होगा। अतः इस सम्बन्ध में प्रार्थी पुनः सभी वांछित प्रमाणपत्रों एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के भविष्य निधि खाता का स्टेटमेन्ट तथा प्रोफार्मा पर प्रार्थनापत्र माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित कर रहा है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी का यह विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थी के भविष्य निधि खाता से, जिसमें इस समय 52,00,000/(बावन लाख) रूपये से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है, में से 31,00,000/(इकतीस लाख) रूपये अन्तिम निष्कासन के रूप में शीघ्रातिशीघ्र दिलाये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

सादर,

भवदीय,

एस०बी०पाण्डेय 28/01/22

(एस0बी0पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।

संलग्नक :–

1. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रार्थी द्वारा अपने भविष्य निधि खाता से फ्लैट/आवास क्रय किये जाने हेतु 30,00,000/(तीस लाख) रूपये के स्थायी

(4)

निष्कासन हेतु प्रेषित प्रार्थनापत्र की फोटोप्रति।
(प्रार्थी उस समय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, गाजियाबाद के रूप में नियुक्त था)

2. पूर्व में दिनांक 02.06.21 को प्रार्थी द्वारा अपने भविष्य भविष्य निधि खाता से प्लाट (भूमि) क्रय किये जाने के सम्बन्ध में 30,00,000 / (तीस लाख) रूपये के स्थायी निष्कासन हेतु प्रेषित प्रार्थनापत्र की फोटोस्टेट प्रतिलिपि।
3. भविष्य निधि खाता से अन्तिम निष्कासन के लिए आवेदनपत्र का प्रारूप।
4. स्वयं आहरण एवं वितरण अधिकारी होने के कारण स्वयं द्वारा एवं साथ ही साथ मुख्य कोषाधिकारी, सीतापुर द्वारा सत्यापित वित्तीय वर्ष 2020–21 के भविष्य निधि खाता की पासबुक का स्टेटमेन्ट।
5. पूर्व में कोई भी स्थायी धनराशि भविष्य निधि खाता से आहरण न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र [redacted] ~~फोटोस्टेट प्रति~~
6. स्वयं आहरण एवं वितरण अधिकारी होने के कारण भविष्य निधि खाता में जमा कुल धनराशि एवं 31,00,000 / (इकतीस लाख) रूपये अन्तिम निष्कासन के बाद अवशेष के सम्बन्ध में स्वयं द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
7. प्रार्थी का स्वयं का प्रमाणपत्र कि प्रार्थी भविष्य निधि खाता से प्राप्त धनराशि को भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी मद में खर्च नहीं करेगा।
8. प्रार्थी का वचनपत्र।
9. दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में e-Services Portal of Judicial Officers पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की फोटोस्टेट प्रतिलिपि।
10. दिनांक 02.06.21 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.07.21 की फोटोस्टेट प्रतिलिपि।
11. दिनांक 03.04.21 को प्रार्थी (क्रेता) एवं विक्रेता के मध्य प्लाट नं0 1106, एल्डिको सिटी, ग्राम मुबारकपुर, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ प्लाट एरिया 167.445 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में हुए "Agreement to Sale" की स्वप्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि।
12. यूनियन बैंक आफ इण्डिया, आंख अस्पताल शाखा, सीतापुर से भूखण्ड क्रय किये जाने हेतु प्राप्त 45,00,000 / (पैंतालिस लाख) रूपये ऋण के सम्बन्ध में [redacted] तथा Personal Loan के रूप में 45,00,000 / (पैंतालिस लाख) रूपये के बाद
पुनः 15,00,000 / (पन्द्रह लाख) रूपये प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में यूनियन बैंक आफ इण्डिया, आंख अस्पताल शाखा, सीतापुर का प्रमाणपत्र।
13. Agreement to Sale से सम्बन्धित प्लाट सं0 1106 एल्डिको सिटी, लखनऊ से सम्बन्धित रजिस्ट्री दिनांकित 11.06.21 की फोटोस्टेट प्रतिलिपि।

एस0बी0पाण्डेय 28/01/22.

(एस0बी0पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।